न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
405/2024

दायर दिनांक
08.07.2024

निर्णय दिनांक
15.07.2024

उनवान

1. पोखर पुत्र पीथा रेगर, निवासी सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाडा

— — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— — विपक्षी

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से बाबुलाल आचार्य।
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य की आराजी नम्बर 1166 व 1170 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5690 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी अपने हक–हिस्से पर काबिज हो आज पर्यन्त निरन्तर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है।

उक्त वादग्रस्त आराजियात में वर्तमान रोटेशन में प्रार्थी का नाम पोखर पुत्र पीथा नाम के आगे रेगर के बजाय बैरवा अंकित कर दी गई है। जबकि प्रार्थी की जाति बैरवा नहीं होकर रेगर है, जिस हेतु प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजियात सम्वत् 2057 से लेकर 2068 तक जमाबन्दी पेश की है। प्रार्थी की जाति रेगर की जगह बैरवा राजस्व अभिलेख में टंकणीय त्रुटिवश अंकित कर दिये जाने से प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है इस कारण उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में संशोधन कराया जाकर प्रार्थी की जाति बैरवा के बजाय रेगर अंकित कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये विपक्षी की और से जवाब पेश नहीं हुआ। विपक्षी का जवाब बन्द किया जाता है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं व तथ्यों को दोहराते हुये राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी की जाति बैरवा के बजाय रेगर संशोधन कराया जाने की प्रार्थना की है। विपक्षी की और से पैराकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2057–60 में पोखर पिता पीथा रेगर दर्ज रेकार्ड था जिसे जमाबन्दी संवत 2069–73 में पोखर पुत्र पीथा बैरवा दर्ज कर दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है अतः प्रार्थी का नाम पोखर पुत्र पीथा बैरवा के बजाय पोखर पिता पीथा रेगर संशोधन करने में कोई आपत्ति नहीं है।

Ahlad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1129 से लगायत 1132, 1136, 1170, कुल किता 06 कुल रकबा 07–15 बीघा भूमि मांगीलाल मुतबन्ना मगना चमार के नाम दर्ज होकर नामान्तकरण संख्या 1197 दिनांक 02.08.2003 से आराजी नम्बर 1170 रकबा 01–07 बीघा भूमि मांगीलाल पिता मगना के बजाय पोखर पिता पीथा रेगर निवासी सांगानेर के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2057–60 में पोखर आत्मज पीथा रेगर के नाम आराजी नम्बर 1166 रकबा 18 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2061–64 में आराजी नम्बर 1166, 1170 कुल किता 02 कुल रकबा 02–05 बीघा भूमि पोखर पिता पीथा रेगर सा0 सांगानेर के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2065–68 में भी आराजी नम्बर 1166, 1170 पोखर पिता पीथा रेगर सा0 सांगानेर के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी सवंत 2069–73 में आराजी नम्बर 1166, 1170 कुल किता 02 रकबा 0.5690 हैक्टयर भूमि पोखर पिता पीथा जाति बैरवा सा0 सांगानेर दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जमाबन्दी सवंत 2069–73 में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–::आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाडा की जमाबन्दी सवंत 2069–73 जमाबन्दी वर्ष 2077 में आराजी नम्बर 1166, 1170 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5690 हैक्टयर भूमि में काश्तकार का नाम पोखर पिता पीथा जाति बैरवा सा0 सांगानेर खातेदार को संशोधन करते हुये पोखर पिता पीथा रेगर निवासी सांगानेर इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

Ahad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा